अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

विविध वाद सं0 20 (II) /2018–19

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
7/2/19	आवेदक श्री बिनोद कुमार श्रीवास्तव पिता लक्ष्मी प्रसाद वर्मा सा0 चिरागोड़ा , धनबाद द्वारा समर्पित आवेदन में मौजा नावाडीह मौजा नं0 02 के हुए दाखिल खारिज के आदेश फलक में खाता नं0 50 के स्थान पर खाता नं0 36 हो गया है। जिसे सुधार करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। इस संबंध में राजस्व कर्मचारी से जाँच प्रतिवेदन प्रतिवेदन की माँग करें। अभिलेख दिनांक 18/2/19 को रखें। अंचल अधिकारी, धनबाद।	
18/02/19	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन समर्पित। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा नावाडीह, मौजा नं0 02, खाता नं0 50, प्लॉट नं0 1057 रकवा 03 कट्‌टा 06 छटाक खरीदगी भूमि है। जिसका दाखिल खारिज केश सं0 38(I)2013–14 द्वारा होकर जमाबंदी सं0 2058 में लगान रसीद निर्गत होता है। परन्तु हुए दाखिल खारिज के आदेश फलक में खाता नं0 50 के स्थान पर लिपकीय भूलवश खाता नं0 36 हो गया है। जिसे सुधार हेतु राजस्व कर्मचारी ने अनुशंसा किया है। अतः हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त निदेश दिया जाता है कि मौजा नावाडीह, मौजा नं0 02, खाता नं0 50, प्लॉट नं0 1057 रकवा 03 कट्‌टा 06 छटाक परन्तु उक्त दाखिल खारिज के आदेश फलक में लिपकीय भूलवश खाता नं0 50 के स्थान 36 हो गया है। जिसे कायम जमाबंदी सं0 2058 मे खाता नं0 36 के स्थान पर खाता नं0 50 करने हेतु आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व कर्मचारी को सूचित करें। लेखापित एवं संशोधित। अंचल अधिकारी, धनबाद। अंचल अधिकारी, धनबाद।	

Scanned with CamScanner

सेवा में

श्री मान अंचल अधिकारी महोदय,
धनबाद

द्वारा अंचल निरीक्षक

विषय :- दाखिल खारिज मुकदमा संख्या 37(1)13-14 एवं दाखिल खारिज मुकदमा संख्या 38(1)13-14 में [illegible] के संबंध में।

महाशय,

आदेशानुसार किया गया [illegible] जाँच [illegible] 2363 दिनांक 19.3.2007 श्रीमती [illegible] कुमारी पति श्री विनोद कुमार [illegible] के नाम से क्रय किया गया था।

मौजा नावाडीह थाना 02 खाता 36 प्लॉट 1056 रकबा 3 कट्ठा 6 छटाक यानी 5.57 डि०

दा० खा० मुकदमा 38(1)2014-2015 में उत्तराधिकारी श्री विनोद कुमार श्री[illegible] पिता [illegible] ① श्री अमित कुमार श्रीवास्तव पिता श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव के नाम से हुआ है। [illegible] पंजी II के [illegible] संख्या 2059 में [illegible] 2014-2015 [illegible] जो डीड के अनुसार खाता प्लॉट सही है। शुद्धि पत्र में

② आदेश फलक में खाता नम्बर 50 दर्ज हो गया है जो गलत है। खाता नम्बर 50 के स्थान पर डीड के अनुसार खाता नम्बर 36 सुधार किया जा सकता है।

③ उक्त मौजा अन्तर्गत दलील सं० 2364 दिनांक 19.3.2007 के द्वारा श्रीमती [illegible] कुमारी पति श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव के नाम से क्रय किया गया है।

मौजा नावाडीह थाना 02 खाता 50 प्लॉट 1057 रकबा 3 कट्ठा 6 छटाक यानी 5.57 डि

दा० खा० मौजा नम्बर 37(1)2014-2015 के शुद्धि पत्र में खाता 50 प्लॉट 1057 रकबा 3 कट्ठा 6 छटाक उत्तराधिकारी [illegible] श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव पिता [illegible] ① श्री अमित कुमार श्रीवास्तव पिता श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव के नाम से हुआ है। शुद्धि पत्र में खाता नं० 50 दलील के अनुसार सही है। लेकिन दाखिल खारिज मुकदमा नं० 37(1)14-15 के आदेश फलक में खाता नं० 36 दर्ज है। जो दलील के अनुसार सही नहीं है। दलील के आधार आदेश फलक में खाता नम्बर 50 सुधार किया जा सकता है। जो [illegible] हेतु [illegible] है।

अतः जाँच प्रतिवेदन सादर [illegible]

विश्वासी

[signature]

हल्का I

अंचल निरीक्षक, धनबाद

सेवा में
श्रीमान् अंचल अधिकारी, धनबाद

विषय → दाखिल खारिज मुकदमा संख्या 37 (I) / 13-14 एवम् दाखिल खारिज मुकदमा संख्या 38 (I) / 13-14 में खाता संख्या गलत दर्ज होने के संबंध में।

महाशय
सविनय निवेदक पूर्वक कहना चाहता हूँ कि हमने उत्तराधिकारी होने के नाते आपके समक्ष दाखिल खारिज करने का आवेदन दिया था। जिसमें दलिल संख्या 2364 में जमिन का विवरण मौजा नवाडीह नं० 02, खाता नं० 50, प्लॉट नं० 1057, रकवा 3 कट्ठा 6 छटाक है। जिसका दाखिल खारिज का आदेश मिला। उसमें खाता संख्या 50 के जगह 36 लिखा हुआ है। जो कि गलत है। इसी प्रकार दलिल संख्या 2363 में जमीन का विवरण मौजा नवाडीह नं० 02, खाता संख्या 36, प्लॉट संख्या 1056, रकवा 3 कट्ठा 6 छटाक है। जिसका दाखिल खारिज का आदेश मिला उसमें खाता संख्या 36 के जगह 50 लिखा हुआ है। जो कि गलत है। कृप्या कर आपके द्वारा जो आदेश दिया गया है। उसे सही कर मुझे सही दाखिल खारिज आदेश निर्गत किया जाए।

अतः मैं आपका सदा आभारी रहूँगा।

B.K. Shrivastava